R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 7
जनवरी 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

मुद्रा प्रबंध

नकदी आहरण सीमाओं को वापस लेना–यथापूर्व स्थिति की वापसी

पुनर्मुद्रीकरण की गति की समीक्षा के उपरांत, रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2017 को निर्णय लिया कि यथा पूर्व स्थिति को निम्नानुसार आंशिक रूप से पुनःस्थापित किया जाए :

- चालू खातों / नकदी क्रेडिट खातों / ओवरड्राफ्ट खातों से नकदी आहरण की पूर्व निर्धारित सीमा (28 नवंबर 2016 से जारी परिपत्र) को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।
- बचत बैंक खातों पर सीमाएं वर्तमान के लिए जारी रहेंगी और निकट भविष्य में वापस लेने हेतु विचाराधीन हैं।
- एटीएम से नकदी आहरण पर लागू सीमाएं 1 फरवरी 2017 से वापस ले ली गई। तथापि, बैंक अपने विवेक पर अपनी-अपनी परिचालन सीमाएं रख सकते हैं जैसाकि 8 नवंबर 2016 से पहले थी।

इसके अतिरिक्त, बैंकों से आग्रह किया गया कि वे भुगतानों के डिजीटलीकरण और नकदी भुगतान मोड से गैर-नकदी मोड में जाने के लिए आंदोलन को कायम रखने के लिए अपने संघटकों को प्रोत्साहित करें।

इससे पहले, रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2017 को निम्नानुसार आहरण सीमाएं बढ़ाई थी :

- एटीएमों से आहरण की सीमा प्रतिदिन प्रति कार्ड समग्र साप्ताहिक सीमा के अंदर ₹ 4500 से बढ़ाकर ₹ 10,000 की गई;
- चालू खातों से आहरण की सीमा ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 1,00,000 कर दी गई और यह ओवरड्राफ्ट और नकदी क्रेडिट खातों पर भी दी गई है।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10840Mode=0)
(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10826Mode=0)

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नकदी का आवंटन

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2017 को मुद्रा तिजोरियों का रखरखाव करने वाले बैंकों को सूचित किया है कि वे निम्नलिखित कदम उठाएं :-

मुद्रा प्रवाह वितरण चैनल तथा अनुपात

- बैंक अपनी मुद्रा तिजोरियों को सूचित करें कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, डीसीसीबी तथा वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के व्हाइट लेबल एटीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों, जो वितरण हेतु मुख्य ग्रामीण चैनल माने जाते हैं, को प्राथमिक आधार पर नए नोट जारी करें;
- ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी के वितरण में आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की सुविधा देने हेतु प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी मिश्रण के आधार पर आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत सौंपा गया है क्योंकि कासा (CASA) जमाओं तथा जमा खातों की संख्या के पारस्परिक हिस्से के संबंध में ग्रामीण तथा शहरी मिश्रण में भिन्नता के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में ग्रामीण आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं।
- तदनुसार, जिले में परिचालित सभी मुद्रा तिजोरियां उक्त दर्शाए गए वितरण चैनल में सूचित किए गए अनुपात के अनुसार ही बैंक नोट जारी करें। सूचित किए गए अनुपात को प्रत्येक तिजोरी स्तर पर साप्ताहिक औसत आधार पर बनाए रखा जा सकता है क्योंकि दैनिक आधार पर अनुपात बनाए रखना कठिन हो सकता है।

निगरानी की रिपोर्टिंग

मुद्रा तिजोरियों को प्रत्येक शुक्रवार को व्यावसायिक कार्य समाप्ति के पश्चात उक्त श्रेणियों में दैनिक आधार पर जारी किए नोटों का साप्ताहिक सारांश तिजोरी पर्ची के साथ अपने लिंक कार्यालयों (एलओ) को प्रस्तुत करना होगा। लिंक कार्यालय समीक्षा के लिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित कार्यालय को आगे प्रेषित करें। यह मुद्रा तिजोरी शेषराशि रिपोर्टिंग प्रणाली के समान ही हो। लिंक कार्यालय जारी नोटों के निर्गमों में असमानता से बचने के लिए दैनिक रिपोर्ट की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि नोट समान रूप से जारी किए जा रहे हैं।

मूल्यवर्ग मिश्रण

- मुद्रा तिजोरियां ₹ 500/- तथा इससे कम मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करें। विशेषत: एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएमों (डब्ल्यूएलएओ) को ₹ 500/- तथा ₹ 100/- ही जारी किए जाएँ तथा एटीएम श्रेणी में, ऑफसाइट एटीएम के लिए ऑनसाइट एटीएम की अपेक्षा अधिक अनुपात में नकदी का आवंटन किया जाए क्योंकि ये अंतिम मील तक मुद्रा संयोजकता (कनेक्टिविटी) के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
- ₹ 100/- से कम मूल्यवर्ग के अन्य नोटों के मौजूदा स्टॉक को प्रचुरता से जारी किया जाए।
- बैंक, यदि आवश्यता हो तो, सिक्कों के लिए माँगपत्र (इंडेंट) दें, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभागों से आपूर्ति प्राप्त करें तथा प्राथमिकता से आम जनता में आपूर्ति सुनिश्चित करें।

पृष्ठभूमि

यह देखने पर कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे बैंकनोट ग्रामीण आबादी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए कुछ कदम उठाए गए। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कम से कम 40 प्रतिशत बैंकनोटों की ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाए और एक अधिक टिकाऊ तरीके में निर्गम को कम करने के लिए इन कदमों की सलाह दी गई है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10814Mode=0)

विषय सूची

	पृष्ठ
मुद्रा प्रबंध	
• नकदी आहरण सीमाओं को वापस लेना–यथापूर्व स्थिति की वापसी	1
• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नकदी का आवंटन	1
• छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की सुविधा	2
बैंकिंग विनियमन	
• अग्रिमों के संबंध में आईआरएसी और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	2
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• डब्ल्यूएलएओ रीटेल आउटलेट्स से नकदी की उपलब्धता	2
• कार्ड अप्रस्तुत लेन-देन में सत्यापन के अतिरिक्त घटक'(एएफए) में छूट	2
आंतरिक ऋण प्रबंध	
• सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश	3
वित्तीय समावेशन और विकास	
• सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• प्रत्यक्ष निवेश करने से भारतीय पक्ष प्रतिबंधित	3
• किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी किया जाना संशोधित	3
• भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम : संशोधित	3
• आईडीपीएमएस के अंतर्गत आयात के साक्ष्य	4
• प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री	4

छूट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय की सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2016 को उन निवासी और अनिवासी नागरिकों के लिए विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन) के विनिमय की सुविधा शुरू की है जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान भारत से बाहर होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके।

निवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, वे 31 मार्च 2017 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अनिवासी भारतीय जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, वे 30 जून 2017 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

जबकि पात्र निवासी भारतीयों के लिए विनिमय की कोई मौद्रिक सीमा नहीं है, एनआरआई के लिए संबंधित फेमा विनियमों के अनुसार सीमा रहेगी। वे पहचान दस्तावेज जैसे आधार नंबर, स्थायी लेखा नंबर (पैन) आदि प्रस्तुत कर और इस बात का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करके कि वे इस अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने पहले इस विनिमय सुविधा का लाभ नहीं उठाया, एनआरआई एसबीएन के आयात के बारे में सीमा शुल्क से प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस अवधि के दौरान केवल एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत तृतीय पक्ष की मुद्रा स्वीकार नहीं की जाएगी।

निबंधन और शर्तों के पूरा करने और प्रस्तुत नोटों के असलीपन के आधार पर अनुमेय राशि प्रस्तुतकर्ता के केवाईसी अनुपालक बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त सुविधा केवल उन्हीं प्रस्तुतकर्ताओं के पास उपलब्ध है जिनके खाते केवाईसी अनुपालक हैं और जिन्होंने 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक अपने खातों में एसबीएन जमा नहीं कराए हैं।

यह सुविधा रिज़र्व बैंक के मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और नागपुर स्थित कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। चूंकि उपर्युक्त सूचना बैंकों में उपलब्ध है, रिज़र्व बैंक के इन विशिष्ट कार्यालयों को (i) केवाईसी स्थिति की पुष्टि करने और (ii) प्रस्तुतकर्ताओं के खातों में एसबीएन जमा करने से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, के लिए बैंकों से संपर्क करने की जरूरत है। इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख के सात दिन के अंदर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए बैंक महाप्रबंधक के रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर सकते हैं जिसे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों द्वारा संपर्क किया जा सके।

नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बंगलादेश में रहने वाले भारतीय नागरिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के निर्णय से निराश है तो वह इसकी अपील इस प्रकार के मना किए जाने के सम्प्रेषण के 14 दिन के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को कर सकता है। इस प्रकार के अभिवेदन केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 16 वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 को संबोधित किए जाएं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10808Mode=0)

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=39107)

बैंकिंग विनियमन

अग्रिमों के संबंध में आईआरएसी और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2016 और 31 दिसंबर 2016 के बीच देय भुगतानों के संबंध में 28 दिसंबर 2016 को निर्णय लिया कि –

(i) ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों में उपलब्ध 60 दिनों के अतिरिक्त 30 दिन मुहैया कराए जाएं :

- किसी भी बैंक के साथ चालू कार्यशील पूंजी खातों (ओवरड्राफ्ट(ओडी)/नकदी क्रेडिट (सीसी))/फसल ऋण जहां संस्वीकृत सीमा ₹ 1 करोड़ या इससे कम है;
- कारोबारी प्रयोजन हेतु सुरक्षित या अन्यथा रूप में दीर्घावधि ऋण के लिए, जहां किसी बैंक या एनबीएफसी (एमएफआई) सहित किसी एनबीएफसी की बहियों में मूल संस्वीकृत राशि ₹ 1 करोड़ या इससे कम है। इसमें कृषि ऋण शामिल है।

(ii) सभी विनियमित संस्थाओं को अनुमति दी जाए कि वे ऐसे खातों की श्रेणी घटाने की प्रक्रिया को आस्थगित करें जो 1 नवंबर 2016 को तो मानक थे, लेकिन 1 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के दौरान किसी कारणवश अनर्जक आस्ति हो गए। निम्नलिखित श्रेणी के खातों में इस प्रकार से श्रेणी घटाने की तिथि से 90 दिनों के लिए यह आस्थगन किया जाएगा:

- किसी बैंक में चल रहे कार्यशील पूंजी खाते (ओडी/सीसी)/फसल ऋण, जहां मंजूर की गई सीमा ₹ 1 करोड या उससे कम हो;
- व्यावसायिक प्रयोजन के लिए मीयादी ऋण, चाहे जमानती हों या अन्यथा, जहां मूल रूप से मंजूर की गई राशि किसी बैंक या एनबीएफसी (एमएफआई) सहित किसी एनबीएफसी की बही में ₹ 1 करोड या उससे कम हो। इसमें कृषि ऋण शामिल होगा।

उपर्युक्त सीमाएं ऋणों की संबंधित श्रेणी पर लागू परस्पर विशिष्ट सीमाएं हैं। अतिरिक्त समय केवल किसी मौजूदा मानक आस्ति के अवमानक के रूप में वर्गीकरण को आस्थगित करने के लिए ही लागू होगा, न कि खाते को अनर्जक आस्ति की उप-श्रेणियों में डालने में विलम्ब करने के लिए। 1 जनवरी 2017 के बाद देय बकाये को संबंधित विनियमित संस्थाओं के लिए मौजूदा अनुदेशों द्वारा कवर किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10801Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

डब्ल्यूएलएओ–रीटेल आउटलेट्स से नकदी की उपलब्धता

व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) को नकदी की उपलब्धता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2016 को यह निर्णय लिया कि उन्हें रीटेल आउटलेट्स से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नकदी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाए:

- डब्ल्यूएलएओ उनके एटीएम द्वारा प्रदान किए गए नोटों की गुणवत्ता और उनकी असलियत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं ही पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। इस प्रयोजन के लिए केवल एटीएम के नाप के नोटों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए,
- डब्ल्यूएलएओ जिन रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ वे स्वयं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर द्विपक्षीय व्यवस्था निष्पादित करेंगे,
- इस प्रकार की व्यवस्था से यदि कोई देयता और विवाद उत्पन्न होता है तो वह डब्ल्यूएलएओ की ही ज़िम्मेदारी होगी,
- डब्ल्यूएलएओ ग्राहकों के विवादों का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा और नकली नोटों सहित ग्राहक को हुई किसी भी हानि की भरपाई करेगा,
- इस प्रकार की व्यवस्था (व्यवस्थाओं) का उपयोग करते हुए प्राप्त की गई 60 प्रतिशत नकदी को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित डब्ल्यूएलए के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

डबल्यूएलएओ से संबन्धित अन्य सभी मौजूदा अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

पृष्ठभूमि

मौजूदा ₹ 500/ और ₹ 1000/ – के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त करने के पश्चात, रिज़र्व बैंक द्वारा ये निदेश जारी किए गए क्योंकि रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह बात लाई गई कि, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डबल्यूएलएओ) को अपने प्रायोजक बैंक (बैंकों) से नकदी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10805Mode=0)

कार्ड अप्रस्तुत लेन-देन में सत्यापन के अतिरिक्त घटक'(एएफए) में छूट

रिज़र्व बैंक ने 06 दिसंबर 2016 से कार्ड जारी और प्राप्त करनेवाले संबंधित बैंकों की भागीदारी के साथ प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'भुगतान

सत्यापन समाधान' के लिए ऑनलाइन कार्ड अप्रस्तुत (सीएनपी) लेनदेनों में 2000/- तक के लिए अपेक्षित 'सत्यापन के अतिरिक्त घटक'(एएफए) में छूट दी है। यह सूचना उद्योग के विभिन्न वर्गों से रिज़र्व बैंक को कम मूल्य के ऑनलाइन कार्ड अप्रस्तुत (सीएनपी) लेनदेनों में एएफए की आवश्यकता पर समीक्षा के लिए प्राप्त अनुरोध के बाद जारी की गई ।

पृष्ठभूमि

खुदरा भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए सभी पण्य धारकों की भागीदारी से रिज़र्व बैंक कई पहलें करता रहता है। इस संबंध में, कार्डयुक्त लेनदेनों में सुरक्षा के लिए और जोखिम कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें ऑनलाइन चेतावनी और सत्यापन के अतिरिक्त घटक पर निदेश भी शामिल हैं। इन पहलों ने कार्ड भुगतान के प्रयोग में ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने में योगदान दिया है।.

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10766Mode=0)

आंतरिक ऋण प्रबंध

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

बॉन्ड जारी करने के संदर्भ में अब तक के अनुभव, ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की परिचालन संबंधी सुविधा तथा आसानी को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर 2016 को यह निर्णय लिया है कि 'प्राप्तकर्ता कार्यालयों' (यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बॉन्ड के मामले में) तथा डिपोज़िटरी/ डिपोज़िटरी भागीदारों (डीमेटीरियलाईज़्ड बॉन्डों के मामलों में) को बॉन्ड के सर्विसिंग के संदर्भ में कतिपय कार्यों की ज़िम्मेदारी सौंपने के अलावा परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किए जाएं।

इसका अनुपालन नहीं करने पर दंड लगाया जाएगा।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा सरकारी स्टॉक के रूप में सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (आगे बॉन्ड कहा जाएगा) जारी किए जाते हैं और इसका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। अब तक 6 शृंखलाओं में सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड जारी हो चुके हैं। भारत सरकार की ओर से प्रत्येक शृंखला के लिए अधिसूचना जारी होने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ''प्राप्तकर्ता कार्यालयों'' को आवेदन के प्रोसेसिंग के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10792Mode=0)

वित्तीय समावेशन और विकास

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की मंजूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2016 को बैंकों को सूचित किया कि वे अपने एमएसई उधारकर्ताओं को 'अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा' (उनके बोर्ड द्वारा यथोक्त अनुमोदित) प्रदान करने की सुविधा का उपयोग करें ताकि बेमेल नकदी प्रवाह के कारण सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा सके। 31 मार्च 2017 तक यह एकबारगी उपाय होगा और उसके बाद नये कार्यशील पूंजी मूल्यांकन चक्र में सामान्य नीति अपनाई जानी चाहिए।

₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्गों के विशेष बैंक नोटों (एसबीएन) का वैध मुद्रा दर्जा वापस लिये जाने के परिणामस्वरूप और ऐसे फीडबैक के आधार पर कि बेमेल नकदी प्रवाह के कारण कुछ एमएसई अपना सामान्य कारोबार करने में अस्थायी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, रिज़र्व बैंक ने समीक्षा के उपरांत संशोधित अनुदेश जारी किए।

पृष्ठभूमि

बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया था कि वे बोर्ड के अनुमोदन से एमएसई को उधार देने की अपनी नीति में कार्यशील पूंजी सीमाओं की मंजूरी/ नवीकरण के समय एक अलग अतिरिक्त सीमा निश्चित करने के लिए शर्त शामिल करें ताकि विशेषत: कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में अस्थायी वृध्दि की पूर्ति की जा सके जो मुख्यत: उनके द्वारा निर्मित उत्पादो के लिए मांग में अप्रत्याशित / मौसमी वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। बैंकों द्वारा अब यह पुष्टि की गई है कि उन्होंने ऐसी नीति स्थापित की है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10803Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

प्रत्यक्ष निवेश करने से भारतीय पक्ष प्रतिबंधित

निर्देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ) के उद्देश्यों के प्रति उन्मुख करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी 2017 को एक समीक्षा पर यह निर्णय लिया कि एफएटीएफ द्वारा निर्धारित 'असहयोगी देशों और क्षेत्रों' में स्थित विदेशी निकायों (संयुक्त उद्यम/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं (जेवी/डब्ल्यूओएस) या अप्रत्यक्ष रूप से घटकर बनाई शाखाओं के रूप में विदेश में सीधे स्थापित या अधिगृहीत) में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश को रोका जाए।

वर्तमान में भारतीय पक्षों पर समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने किए लिए देश से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10839Mode=0)

किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी किया जाना संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2016 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी किया जाना) विनियमावली, 2004 में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया :-

मूल विनियम में वर्तमान खंड के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए, यथा:

''एफएटीएफ की वेबसाइट www.fatf-gafi.org पर उपलब्ध सूची के अनुसार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा निर्धारित ''असहयोगी देशों और क्षेत्रों'' में स्थित विदेशी निकायों (संयुक्त उद्यम/पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं (जेवी/डब्ल्यूओएस) या अप्रत्यक्ष रूप से घटाकर बनाई गई शाखाओं के रूप में विदेश में सीधे स्थापित या अधिगृहीत) में भारतीय पक्ष कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेंगे।''

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10822Mode=0)

भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम : संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2017 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

विनियम में संशोधन:

मूल विनियमावली में एक नया खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:-

'परिवर्तनीय नोट' (कन्वर्टिबल नोट) अर्थात किसी स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी एक ऐसी लिखत है जो प्रारम्भिक तौर पर कर्ज़ के रूप में प्राप्त धनराशि को इंगित करती है, और जो उसके धारक को उसके विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य होगी अथवा जो इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी संख्या में उस स्टार्ट-अप कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होगी, साथ ही जो उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होगी।

नया विनियम अंतर्विष्ट:

संशोधित संस्करण में निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा गया है:-

स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा परिवर्तनीय नोट जारी किया जाना

- भारत से बाहर का कोई निवासी (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक अथवा पाकिस्तान या बांग्लादेश में पंजीकृत / स्थापित किसी निकाय से भिन्न) किसी भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी ₹ 25 लाख अथवा उससे अधिक मूल्य के परिवर्तनीय नोट एक शृंखला में खरीद सकता है।

स्पष्टीकरण: इस विनियमावली के प्रयोजन से 'स्टार्ट-अप' कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम के अनुरूप निगमित कोई निजी कंपनी है और जिसे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- कोई स्टार्ट-अप कंपनी यदि ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है जिसमें विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन आवश्यक है तो वह अनिवासियों को केवल सरकारी अनुमोदन पर ही परिवर्तनीय नोट - जारी कर सकती है ।

स्पष्टीकरण: इस विनियमावली के प्रयोजन से, परिवर्तनीय नोट के बदले शेयर जारी करना मूल विनियमावली की अनुसूची-1 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

- कोई स्टार्ट-अप कंपनी जो भारत के बाहर के किसी निवासी के पक्ष में परिवर्तनीय नोट जारी करती है, वह समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप द्वारा बैंकिंग चैनल के माध्यम से अथवा संबंधित व्यक्ति के एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एस्क्रो खाते में डेबिट कर के प्रतिफल राशि के माध्यम से आवक विप्रेषण प्राप्त कर सकेगी।

बशर्ते कि उक्त प्रयोजन के लिए खोला गया एस्क्रो खाता आवश्यकता पूर्ण हो जाने के तुरंत बाद अथवा छह माह की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बंद किया जाए। तथापि किसी भी मामले में छह महीने की अवधि के पश्चात एस्क्रो खाते जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।

- मूल विनियमावली के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर परिवर्तनीय नोट प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत से बाहर का कोई निवासी भारत के निवासियों अथवा भारत से बाहर के निवासियों से या को बिक्री द्वारा प्राप्त या स्थानांतरित कर सकता है बशर्ते ऐसा अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत निर्धारण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। यदि स्टार्ट-अप कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध है जिसके लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, ऐसे मामलों में सरकारी अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- परिवर्तनीय नोट जारी करने वाली स्टार्ट-अप कंपनी को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10825Mode=0)

आईडीपीएमएस के अंतर्गत आयात के साक्ष्य

कारोबार करने की सुविधा को बढ़ाने और लेन-देन की लागत कम करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 12 जनवरी 2017 से आयात के साक्ष्य के दस्तावेजों की हार्ड प्रति यथा प्रविष्टि पत्र (बीओई) का प्रस्तुत किया जाना 01 दिसंबर 2016 से बंद कर दिया है क्योंकि यह इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मोनिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) में उपलब्ध है। संशोधित प्रक्रिया नीचे दी गई है:

- एडी श्रेणी-I बैंक आयातक से प्राप्त बीओई विवरण (बीओई संख्या, पोर्ट कूट संख्या तथा तारीख) की प्रविष्टि करें और आईडीपीएमएस में ''बीओई मास्टर'' से बीओई मेसेज डाटा डाउनलोड करें। इसके बाद आईडीपीएमएस के ''बीओई सेटलमेंट'' के मेसेज फार्मेट के अनुसार आयात के लिए भुगतान से संबंधित आउटवर्ड रेमिटेंस मेसेज(ओआरएम) के साथ बीओई डाटा का निपटान करें और मिलान करें। एकाधिक ओआरएम का एकल बीओई के साथ और एकाधिक बीओई का एक ओआरएम के साथ निपटान किया जा सकता है।
- ''स्वीकृति के विरुद्ध सुपुर्दगी'' के आधार पर आयात के संबंध में, आयात बिल के प्रेषण के समय एडी श्रेणी-I बैंक आयातक के अनुरोध पर आईडीपीएमएस से आयात के साक्ष्य का सत्यापन करें।
- आयात के साक्ष्य के साथ ओआरएम का निपटान करने पर एडी श्रेणी-I बैंक सभी मामलों में आयातकर्ता को एक पावती जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी:-
  - I. कूट संख्या सहित आयातकर्ता का पूरा नाम और पता;
  - II. बीओई की संख्या तथा तारीख और आयात की राशि; तथा
  - III. बीओई और ओआरएम की संख्या और राशि पर रीकैप एड्वाइस जिसका आयातक के लिए निपटान नहीं किया गया है।
- आयातक को बीओई की 'आयातक की प्रति' का प्रिंट आयात के साक्ष्य और पावती के रूप में भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

''प्रविष्टि पत्र के स्थान पर आयात का साक्ष्य'' के लिए वर्तमान निर्देश और दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। स्वीकृत/अनुमोदित स्थितियों में आयातक के एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा आईडीपीएमएस में ''मैन्युअल बीओई रिपोर्टिंग'' मैसेज फार्मेट के अनुसार बोओई डाटा के रूप में प्रविष्टि पत्र के स्थान पर आयात का साक्ष्य बनाया और अपलोड किया जाएगा।

आयात के साक्ष्य के लिए अनुवर्ती कार्रवाई

एडी श्रेणी-I बैंक आयात के लिए किए गए बाह्य प्रेषण(यथा ओआरएम जिसका निपटान नहीं किया गया है) के लिए इस विषय पर वर्तमान दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखेंगे। उन मामलों में जहाँ आईडीपीएमएस में ओआरएम के विरुद्ध उचित तारिखों पर संबंधित आयात साक्ष्य डाटा उपलब्ध नहीं है, एडी श्रेणी-I बैंक आयातक से आयात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें। इसी प्रकार, यदि विनिर्दिष्ट अवधि में ओआरएम के विरुद्ध बीओई डाटा का निपटान नहीं किया गया है तो एडी श्रेणी-I बैंक वर्तमान निर्देशों के अनुसार आयातक से अनुवर्ती कार्रवाई करें।

सत्यापन और परिरक्षण

आंतरिक निरीक्षक तथा आईएस लेखापरीक्षक (एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी लेखापरीक्षकों सहित) सत्यापन और आईएस लेखापरीक्षा करें और आईडीपीएमएस में ''बीओई सेटेलमेंट'' प्रक्रिया सुनिश्चित करें। एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा ''बीओई सेटेलमेंट'' के लिए अपनाए गए डाटा और प्रक्रिया को बैंक में साइबर सुरक्षा संरचना के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार परिरक्षित किया जाए। तथापि उन मामलों में, जो जाँच एजेंसियों द्वारा जाँच के आधीन हों, संबंधित जाँच एजेंसियों से क्लीयरंस प्राप्त होने के बाद ही डाटा, प्रक्रिया तथा/अथवा दस्तावेज नष्ट किए जाएं।

पृष्ठभूमि

आईडीपीएमएस में प्रविष्टि पत्र (बीओई) डाटा ईडीआई पोर्ट के लिए सीमा-शुल्क विभाग तथा एसईजेड के लिए एनएसडीएल से दैनिक आधार प्राप्त होता है। ईडीआई पोर्ट से अन्य के लिए बीओई डाटा की प्रविष्टि एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा बीओई(आयातक की प्रति) प्राप्त होने पर की जाती है और फिर बैंक आईडीपीएमएस में ''मैन्युअल बीओई रिपोर्टिंग'' प्रक्रिया के माध्यम से डाटा अपलोड करता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10824Mode=0)

प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री

भारतीय कंपनियों द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बाण्डों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2016 को यह निर्णय लिया कि उन्हें ऐसे लिखतों में प्रत्यक्ष अथवा प्रचलित/अनुमोदित बाज़ार परंपरा के अनुसार लेन-देन की अनुमति दी जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10800Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।